

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,

यातायात (लेखा) विभाग, मुख्यालय, जयपुर।

क्रमांक एफ.4/मु./याता/लेखा (162)/2016/351

दिनांक:- 29.7.16

कार्यालय-आदेश

मुख्य प्रबन्धक, सी.बी.एस आगार जयपुर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए वातानुकूलित सुपर लज्जरी जयपुर-दिल्ली मार्ग पर अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित सेवाओं का कार्यालय आदेश क्रमांक 252 दिनांक 14.6.2016 से वर्तमान निर्धारित यात्री किराये रु. 850 प्रति यात्री प्रतिसीट (सभी अधिभार एवं शुल्क सहित) को संशोधित कर रु. 849 प्रतिसीट प्रतियात्री निर्धारित किया जाता है। इस पर नियमानुसार सर्विस टैक्स पृथक से वसूली योग्य है।

उक्त आदेश माननीय प्रबन्ध निदेशक महोदय के अनुमोदन पश्चात जारी किए जा रहे हैं।

(सोहन लाल धानका)

कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा(162)/2016/351

दिनांक :- 29.7.16

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष () राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर
3. समस्त महा प्रबन्धक, /संयुक्त महा प्रबन्धक() राजस्थान परिवहन निगम, मु0 जयपुर
4. निगम सचिव रा0 परि0 निगम मु0 जयपुर।
5. उप महा प्रबन्धक(सांख्यिकी/बजट/ टिकिट/अंकेक्षण) राज0 परि0 नि0, मु0 जयपुर
6. उप महा प्रबन्धक(आई.टी.). राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित आदेश वेबसाईट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावे तथा कम्प्यूटर एवम् आई.टी.आई.एम. में आवश्यक संशोधन कराना सुनिश्चित करावें।
7. कार्यकारी प्रबन्धक (जनसम्पर्क)/संचालन / () रा.प.नि.मुख्यालय जयपुर।
8. सहा0.लेखाधिकारी, (टिकिट/अंकेक्षण) राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर।
9. समस्त मुख्य प्रबन्धक, / प्रबन्धक. (वित्त) राज0 परि0 निगम.....आगार।
10. कन्ट्रोल रूम, मुख्यालय, जयपुर
11. आदेश पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह चौधरी)

कार्यकारी प्रबंधक (यातायात)

Prag / Mr. Karal
1/5
1/8